



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल भोपाल म०प्र०

प्रकरण क्रमांक

12015

निग - 313-4-6

शफीक खॉ आ. श्री रफीक खॉ आयु वयस्क
निवासी ग्राम काजीखेड़ी तहसील आषा
जिला सीहोर म०प्र०

.....निगरानीकर्ता

42

श्रीमान् तहसीलदार महोदय
द्वारा पारित दिनांक 23/11/14
के प्रस्ताव

विरुद्ध

म०प्र० शासन

.....रेसपोण्डेंट

23/12/15

अधीनस्थ

कार्यालय न्यायालय
भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 03/11/2014 प्रकरण क्रमांक 04/अपील/14-15 पारित
द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, आषा तहसील
आषा जिला सीहोर म०प्र०

आहुत किये जाने वाले प्रकरण

- 01. प्रकरण क्रमांक 42/अ-16/13-14 आदेश दिनांक 29/09/2014 पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय आषा जिला सीहोर म०प्र०
- 02. प्रकरण क्रमांक 04/अपील/14-15 आदेश दिनांक 03/11/2014 पारित द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, आषा तहसील आषा जिला सीहोर म०प्र०

श्रीमान् तहसीलदार महोदय
द्वारा पारित दिनांक 23/11/14
के प्रस्ताव

श्रीमान् जी,

अपीलार्थी आदेश दिनांक 03/11/2014 प्रकरण क्रमांक 4/अपील/14-15 से प्रभावित एवं दूबंदी होकर निम्न विधिक आधारों पर उचित समय सीमा में अपील प्रस्तुत करता है:-

तथ्य

01. यह कि श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/अ-16/13-14 पंजीबद्ध कर श्रीमान् के द्वारा पारित न्यायालयीन आदेश के अर्थदण्ड की वसूली हेतु जिसके विरुद्ध अपील श्रीमान् ए.डी.एम. महोदय के समक्ष लंबित अवस्था में है के होने के बावजूद भी प्रकरण क्रमांक 42/अ-16/13-14 पंजीबद्ध किया गया इसके विरुद्ध दिनांक 10/09/2014 के द्वारा पारित आदेश से परिवेदित होकर म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के तहत धारा 51 के साथ धारा 52 म० शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 29/09/2014 को प्रस्तुत किया गया वैधानिक तोर पर उसे रिहाई पर नहीं लिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुर्नविभाजन आवेदन पत्र निरस्त किया गया जिसको चुनौती देते हुये माननीय अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

R. 373-II/16

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 372 एवं 3.73/11/16 जिला सीधर

स्थान तथा दिनांक	नफिस खां कार्यवाही तथा आदेश मण्डल शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	<p>यह निगली अनुविभागीय अधिकारी डाक्टर जिला सीधर के शं. प्र. क्र. 4 एवं 5/शापील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 3-11-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>उक्त में आवेदक (आधीनस्थ) श्री शं. एस. लाल के इस प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगली मेमो में उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं प्रश्नाधीन आदेश का भी परीक्षण किया गया।</p> <p>प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आधीनस्थ -यायालय द्वारा उक्त में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के तथा आवेदक के हित प्रभावित हुए होने की वर्तमान में कोई सम्भावना हो। आधीनस्थ -यायालय द्वारा उक्त आक्षेपित आदेश से मात्र आधीनस्थ -यायालय का अभिलेख बुलॉय जाने (रिकार्ड तबत) कार्य के आदेश दिए गए हैं।</p> <p>ऐसी स्थिति में उक्त में ग्राह्यता का प्रश्न दृष्ट्या कोई पर्याप्त एवं समचित आधार होने से यह निगली उक्त अनुवृत्ति किया जा रहा है पक्षकार सूचित है। 9.3.16 है।</p>	<p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">सदस्य</p>